खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) यह सच है कि संगमरमर की कीमतें गुणवत्ता तथा साइज के अनुसार बहुत अधिक भिन्न होती हैं। 1-3-1994 से संगमरमर पर उत्पादन शुल्क 20.00 रु० प्रति वर्ग मी० की एक समान दर से देय होता है। यह इससे पहले 10 रु० प्रति वर्ग मी० था।

विदेशी कंपनियों को खनन अधिकार

4149. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विदेशी कंपनियों को किन-किन खनिजों के खनन का अधिकार प्रदान किया गया है और इस संबंध में खनिज-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वहां पर अपनाई जाने वाली संभावित आधुनिक प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खनिजों की खोज के लिए कौन-कौन सी कंपनियां किन-किन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार, खनन पट्टा/पूर्वेक्षण लाइसेंस केवल भारतीय नागरिक अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत परिभाषित कंपनी को ही स्वीकृत किया जा सकता है। अतः विदेशी कंपनियों को खनन अधिकार स्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Amendment of MMRD, 1957

4150. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of MINES be pleased to state :

(a) whether the Federation of Indian Mineral Industries has urged Government to speedily amend the MMRD Act, 1957 to bring it in line with the already an nounced new National Mineral Policy ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) by when the new changes are likely to be brought in the MMRD Act, 1957?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : (a) to (c) After taking into consideration suggestion received from time to time. Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Ordinance, 1994 was issued on 25-1-94. This Ordinance has been replaced by the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Bill, 1994 passed by both the Houses of Parliament, The President has given his assent to this Bill on 28-3-94.

मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण

4151. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा संसद में उठाए गए/चर्चा किए गए मुद्दों पर अच्छी तरह से और शीघ्र कार्यान्वयन के उद्देश्य से समन्वित कार्यवाही हेतु सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों की जानकारी प्रदान करना है।

संसद सदस्यों को सुविधाएं

4152. **श्री रामजी लाल** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद सदस्य के साथ उस राज्य को छोड़कर जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, देश के दूसरे राज्यों में एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यों में स्थित गेस्ट हाउसों इत्यादि में संसद सदस्यों से जब वे आधिकारिक दौरों पर नहीं होते, सामान्य किराये वसूल किये जाते हैं जबकि विधानसभा सदस्यों/राज्य के अधिकारियों से रियायती किराये लिये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं या जारी करने का विचार रखती है ताकि संसद सदस्य भी संबंधित राज्यों के विधानसभा सदस्यों/अधिकारियों को उपलब्ध सुविधा का लाभ उठा सके ?

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) इस मामले की गृह मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय से परामर्श करके पहले भी जांच की गई थी। क्योंकि राज्य अतिथिगृह राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन होते है और कठिन प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि इस संबंध में निर्णय राज्य सरकारों पर छोड दिया जाए। बदली हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मामले की पुनः जांच करने प्रस्ताव है।